उच्च न्यायालय उत्तराखंड,

नैनीताल

रिट याचिका संख्या 583 सन 2019 (एम/एस)

नरेश सिंह .....याचिकाकर्ता

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून और अन्य .....प्रत्यर्थी

श्री रामजी श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री योगेश पांडेय, उप महाधिवक्ता,

साथ मे श्री गजेन्द्र त्रिपाठी, संक्षिप्त धारक

उत्तराखंड राज्य/उत्तरदाताओं के लिए ।

माननीय आलोक सिंह, जे.

1) वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता , आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी प्रत्यर्थी सं 4 द्वारा नरेश सिंह बनाम जिला आपूर्ति अधिकारी, हरिद्वार 'शीर्षक वाली की अपील संख्या 5 2018-19 में दिनाक 04.12.2018 को पारित आदेश के आक्षेपित भाग को रद्द करने के लिये रिट या आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना करना चाहता है ।

2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को देहरादून जिले के मेहुवाला में एक उचित मूल्य की दुकान चलाने का लाइसेंस दिया गया था। जब उसके विरुद्ध कुछ अनियमितताएं पाई गईं, तो जिला आपूर्ति अधिकारी, देहरादून ने अपने 10.10.2017 के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता के उचित मूल्य की दुकान के कार्डधारकों को आसपास के गांव में कुछ अन्य उचित मूल्य की दुकानों से अटैच कर दिया था। पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका संख्या 2680 सन 2017 (एम/एस) दाखिल करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे निम्नलिखित निर्देशों के साथ दिनांक 31.10.2017 के आदेश द्वारा निपटाया गयाः

(क) जांच समिति जांच पूरी करेगी और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ख) सक्षम प्राधिकारी जांच रिपोर्ट पर विचार करेगा और उसके बाद एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता के संबंध में उचित अंतिम आदेश पारित करेगा।

(ग) यह पूरा कार्य 10.02.2018 या उससे पहले पूरा कर लिया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक या 10.02.2018, जो भी पहले हो, , याचिकाकर्ता के संबंध में 10.10.2017 और 12.10.2017 को पारित आक्षेपित आदेशों के प्रभाव और संचालन को स्थगित रखा जाएगा।

3) उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, आपूर्ति निरीक्षक ने 06.11.2017 को एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता की उचित मूल्य की दुकान की संबद्धता को रद्द कर दिया गया। इसके बाद जांच समिति ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्यर्थी नं.3 ने याचिकाकर्ता की उचित मूल्य की दुकान को निलंबित कर दिया और उसके कार्डधारकों को 20 अगस्त, 2018 और 21 अगस्त, 2018 के आदेश के अनुसार दूसरी दुकान से जोड़ दिया।

4) पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूपीएमएस संख्या 3322 सन 2018 प्रस्तुत की, जिसे आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने के लिए वैकल्पिक उपचार की मांग करने के लिए याची को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए निपटान किया गया। यद्यपि यह भी निर्देश दिया गया था कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा अपील दायर की जाती है, तो इसका निर्णय आयुक्त द्वारा दो महीने के भीतर किया जाएगा।

5) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की और 20.08.2018 और 21.08.2018 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने की मांग की।

6) याची के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि आयुक्त यह विचार करने में विफल रहा है कि पूर्वोक्त आदेशों के प्रभाव और संचालन पर रोक नहीं लगाने पर, याची दुकान नहीं चला सका और अपील दायर करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा.

7) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार करते समय, आयुक्त, गढ़वाल मंडल यथास्थिति आदेश दर्ज करने में विफल रहे हैं, क्योंकि अपील को स्वीकार करते समय, आयुक्त को यथास्थिति आदेश अभिलिखित किया जाना चाहिए था. दूसरे शब्दों में, आयुक्त गढ़वाल मंडल को अपील स्वीकार करते समय याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश देने से इनकार नहीं करना चाहिए था।

8) मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, एक अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि, याची के पक्ष में एक अंतरिम आदेश होगा और वह अपनी उचित मूल्य की दुकान तब तक चलाएगा जब तक कि याचिकाकर्ता की अपील पर आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, 20.08.2018 और 21.08.2018 के आदेशों के प्रभाव और संचालन को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक आयुक्त याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेते ।

9) रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं।

(आलोक सिंह, जे.)

दिनांक 6 मार्च, 2019

रावत